UPPG010071422025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर)/विशेष न्यायाधीश, (ई.सी.एक्ट),प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा) जे०ओ०कोड०–यू.पी.1713
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–441/2025
रियाज अहमद बनाम उमेरा आदि

दिनांक–02.07.2026

1. पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पूर्व तिथि पर उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र 08 ख पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र 08 ख अन्तर्गत धारा–05 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा इस आशय द्वारा प्रस्तुत कि गया है कि उक्त निगरानी निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2024 न्यायालय श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सदर प्रतापगढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। अवर न्यायालय ने उक्त आदेश अपनी अधिकार सीमा के परे बिना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों का सम्यक अवलोकन के ही पारित किया है निगरानीकर्ता अवर न्यायालय द्वारा सम्यक अवलोकन के ही पारित किया है। विवादित मकान में कब्जा दिलाने हेतु निवेदन करता रहा परन्तु अधीनस्थ अधिकारी निगरानीकर्ता को विवादित मकान में कब्जा दिलाने में हीला हवाली करते रहे और कहा कि धारा 145 का वाद समाप्त हो चुका है। माह सितंबर 2025 में प्रार्थी अवर न्यायालय व उनके कर्मचारियों के परेशान हो–कर अपने दूसरे अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का निरीक्षण कराया तब दिनांक–12.06.2025 को पारित आदेश की वास्तविक जानकारी हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसी दिन प्रश्नगत आदेश की नकल बनवाया उसके बाद प्रार्थी खर्चे की व्यवस्था करके आज अविलम्ब श्रीमान जी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी की गलती जानबूझकर नहीं बल्कि प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होने के कारण है जो न्यायहित में क्षमा योग्य है तथा प्रार्थी धारा–05 कानून मियाद अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थी द्वारा धारा–05 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्दर मियाद मानने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति करते हुए विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आक्षिप्त आदेश दिनांक–12.06.2024 की प्रारम्भ से ही पूर्णरूपेण जानकारी थी तथा उक्त आदेश सुयोग्याधीन न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं आपत्ति का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कदापि किसी भी दशा में प्रचल–नीय, पोषणीय, विचारणीय एवं संधारणीय नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की क्षेत्राधिकार वर्तमान न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनाक 12.06.2024 को पारित किया गया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लगभग एक वर्ष विलम्ब से दिनांक–19.09.2025 को प्रेषित किया गया है। विलम्ब के संबंध में प्रार्थी का यह कहना है कि जानबूझकर कोई गलती नहीं किया गया है। प्रार्थी माननीय

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.02 16:50:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही हेतु अधिकारियों से आग्रह करता रहा। तत्पश्चात दूसरे अधिवक्ता से पत्रावली का निरीक्षण कराने पर पारित आदेश की जानकारी हुई। जिस कारण वह समय से निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिवक्ता द्वारा समझाये जाने के पश्चात निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6. विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को लचीला रुख अपनाना चाहिए जिससे पक्षकारों को न्याय मिल सके तथा वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर हो सके। मात्र विलम्ब के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सैनिक सिक्योरिटी बनाम 2008 (71) ए.एल.आर. पेज 302 तथा बालकृष्णन बनाम राम कृष्णमूर्ति ए.आई.आर 1998 एस.सी. पृष्ठ 3222 तथा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया है कि विलम्ब क्षमा करते समय न्यायालय को अत्यन्त तकनीकी रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि लचीला रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए जिससे पक्षकारों को न्याय मिल सके।

7. प्रार्थी/अपीलार्थी मुकदमा लड़ना चाहता है तथा दाण्डिक निगरानी को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत कराना चाहता है। यदि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का यह कहना है कि जानकारी न होने के कारण वह समय से निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सका जो न्यायालय की दृष्टि में विलम्ब हेतु समुचित कारण है। दौरान बहस विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किए जाने से कोई आपत्ति नहीं होने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया है। जहाँ तक विलम्ब के कारण विपक्षी को हुई क्षति का प्रश्न है। उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे द्वारा की जा सकती है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 08 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 8 ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम रूपये 1000/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदोपरान्त पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की जाए। उभय पक्ष दिनांक–**21.08.2026** को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उपस्थित हो।

दिनाँक : 02.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़ ।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल–।